आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 30.03.2024 समय : 1905

<><><><><><><><>

- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए कुल बारह उम्मीदवार चुनाव मैदान में है।
- चार राष्ट्रीय दलों के अलावा पांच निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान मे हैं।
- द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी एस जगलान ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने और भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है।
- द्वीपों के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने मतदाताओं से मतदान में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया है।
- पुलिस महानिदेशक देवेश चन्द्र श्रीवास्तव ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में पुलिस को सहयोग देने का अनुरोध किया है।

<><><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए कुल बारह उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। इनमें चार राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार है, जबकि तीन पंजीकृत गैर–मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं। इस बार के चुनाव में पांच निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिनमें दो महिलाएं भी हैं। आज नाम वापस लेने की अंतिम तिथि थी और आज एक निर्दलीय उम्मीदवार वी.एस भास्करण ने अपना नाम वापस लिया। द्वीपों की लोकसभा की एकमात्र सीट के लिए जो बारह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के श्री बिष्णु पद रे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के डी. अय्यप्पन, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के केजेबी सेल्वाराज, बहुजन समाज पार्टी के डॉ. अरूण कुमार मल्लिक, अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस के मनोज पॉल, एसयूसीआई मार्क्सवादी के सलामत मंडल के अलावा पांच निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। इनमें के. वेंकटराम बाबू, वी.के अब्दुल अज़ीज, आनन्द रामनाथ अरलेकर, रिंकु माला मंडल और उषा कुमारी शामिल हैं।

<><><><><><><><>

द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी एस जगलान ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने और भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। आज पोर्ट ब्लेयर के मरीना पार्क में स्वीप टीम की ओर से आयोजित रंगोली प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में वे अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्नीस अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम छः बजे के बीच मतदान कराया जाएगा। लोग पहले ही आकर मतदान करें। रंगोली प्रतियोगिता में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं मतदान के दिन भी बढ़–चढ़कर मतदान करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाए। उन्होंने प्रतिभागियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर स्वीप की नोडल अधिकारी वायरोप्पम पुन्शिबा सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

<><><><><><><><>

निर्वाचन आयोग का सी विजिल ऐप मतददाताओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। अब तक आम चुनाव की घोषणा के बाद शिकायती ऐप पर उन्यासी हजार से अधिक उल्लंघन के मामलों को दर्ज किया गया है। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि निन्यानबे प्रतिशत से आधिक शिकायतों का समाधान कर लिया गया है और इन शिकायतों में से नवासी प्रतिशत का सौ मिनट के भीतर समाधान निकाला गया। अट्ठावन हजार पांच सौ से अधिक मिली शिकायतें अवैध होर्डिंग और बैनर से संबंधित शिकायतें मिली हैं। चौदह सौ से अधिक मिली शिकायतें धनराशि, उपहार और शराब वितरण से संबंधित हैं। लगभग तीन प्रतिशत शिकायतें संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में हैं। एक हजार शिकायतें निर्धारित चुनाव प्रचार के समय से अधिक प्रचार से संबंधित हैं। इस निसिद्ध अवधि में वक्ताओं ने निर्धारित समय के बाद भी प्रचार जारी रखा।

<><><><><><><><>

द्वीपों के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने मतदाताओं से मतदान में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा मतदान करके लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती प्रदान करें।

<><><><><><><><>

पुलिस महानिदेशक देवेश चन्द्र श्रीवास्तव ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में पुलिस को सहयोग देने का अनुरोध किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि मतदान के दिन मतदाता पहचान पत्र साथ रखे, ताकि मतदान के दौरान उन्हें कोई असुविधा न हो।

उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग के लिए जाना जाता है और पुलिस कर्मियों को भी यह आदेश दिया गया है कि वे निष्पक्षता और शक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें।

<><><><><><><><>

सरकार ने गेहूं के भंडारण को अनिवार्य रूप से घोषित करने का आदेश दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कल कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बडे खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों को एक अप्रैल से अगले आदेश तक गेहूं की अपनी भंडारण की स्थिति घोषित करनी होगी। समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

<><><><><><><><>